

# न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 22 / 2019

प्रार्थी:— रामस्वरूप बिश्नोई पुत्र श्री घम्मूराम, जाति विश्नोई निवासी  
भीमसागर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

## बनाम

अप्रार्थी:—

1. भंवरलाल पुत्र श्री घम्मूराम
2. रामी पत्नी श्री घम्मूराम  
प्रफोर्मा पक्षकार
3. मालाराम पुत्र श्री बगताराम फौत के कायम मुकाम  
3/1 भाकरराम पुत्र श्री मालाराम  
3/2 सुखराम पुत्र श्री मालाराम
4. भुराराम पुत्र श्री जोराराम
5. गोकलराम पुत्र श्री जोराराम
6. चम्पालाल पुत्र श्री जोराराम
7. तुलछी पत्नी श्री बगडुराम
8. मांगीलाल पुत्र श्री बगडुराम
9. मदन पुत्र श्री बगडुराम ना.बा. वली माता श्रीमति तुलछी
10. बंशीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र
11. बुधीप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र
12. पुनाराम पुत्र श्री रामचन्द्र
13. हिरकन पुत्र श्री रामचन्द्र
14. हिरकन पुत्र श्री आदुराम
15. मगनाराम पुत्र श्री कानाराम
16. रिडमलराम पुत्र श्री कानाराम
17. हरीराम पुत्र श्री कानाराम
18. सुनील पुत्र श्री बाबुराम
19. रामपाल पुत्र श्री बाबुराम
20. हड़मानराम पुत्र श्री बाबुराम
21. कानी पत्नी श्री कानाराम
22. मांगीलाल पुत्र श्री रामूराम
23. सोहनलाल पुत्र श्री रामूराम
24. भंवरलाल पुत्र श्री रामूराम






सरूपाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि सही नाम आधार कार्ड, पेन पत्र, बैंक पास बुक इत्यादि सभी में रामस्वरूप हैं। रामस्वरूप व सरूपाराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रार्थी रामस्वरूप व अप्रार्थी संख्या 1 दोनों स्व. श्री घम्मूराम के पुत्र हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 इनकी माता हैं। अप्रार्थीगण संख्या 3 से 35 तक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सह खातेदार हैं जिनकी भूमि अभी तक मौके पर सामलाती एवं अविभाजित होने से सभी सह खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 से 35 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उक्त अशुद्धि का पता प्रार्थी को अभी हाल में बैंक ऋण के लिए राजस्व रेकॉर्ड की नकल ली तब पूर्ण रूप से पता चला तब प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि हेतु प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि पीपासर नगर में खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 195 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/5 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 231/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम भीमसागर में खसरा नम्बर 351/2 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा में दर्ज सरूपाराम पुत्र घम्मूराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप बिश्नोई पुत्र श्री घम्मूराम दर्ज करने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।


यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 34 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही तथा अप्रार्थी संख्या 35 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें ग्राम पीपासरनगर मूल ग्राम भीमसागर की जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 के खाता संख्या 271, खसरा नम्बर 194, 195 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा, में घमुराम पि. बगताराम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 201 व 351 में भी घमुराम पि. बगताराम दर्ज है इसी प्रकार ख.नं. 93, 218 व 231/1 में जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में घमुराम पि. बगताराम वगैरा दर्ज है। घमुराम पि. बगताराम फौत होने पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 188 व 189 में घमुराम के स्थान पर भंवरलाल, सरूपाराम पि. घमुराम व रामी बेवा घमुराम दर्ज किया गया। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप बिश्नोई पि. घम्मुराम दर्ज है। इसलिए राजस्व रिक्ॉर्ड में सरूपाराम के स्थान पर रामस्वरूप बिश्नोई पि. घम्मुराम किया जाना उचित है।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

-:आदेश:-


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पीपासर नगर के खसरा नम्बर 194 रकबा 4 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 195 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 201/5 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 106 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 231/1 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम भीमसागर में खसरा नम्बर 351/2 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सरूपाराम पि. घमुराम के स्थान रामस्वरूप बिश्नोई पि. घम्मुराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जा रहा है।पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक..... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।  
2-12-19



  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां